रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2015/पौष 30, 1936
No. 139] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2015/PAUSA 30, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2015

का.आ. 199(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (23क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-2014 से 2015-16 तक उक्त उपवाक्य के प्रयोजन के लिए "इंडियन नेशनल ग्रुप ऑफ दी इंटरनेशनल एसोसिशन फॉर ब्रिज एंड स्कट्रचरल इंजीनियरिंग, आईडीए बिल्डिंग, जामनगर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110001" को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित करती है:—

(i) कर-निर्धारिती उक्त उपवाक्य (23क) के उपबंधों के अनुसरण में अपनी आय का इस्तेमाल अथवा इस्तेमाल हेतु अपनी आय को इकट्ठा केवल उन लक्ष्यों हेतु ही करेगा जिसके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(ii) कर-निर्धारिती उक्त उपवाक्य (23क) के अंतर्गत "गृह संपत्ति से आय" अथवा किसी भी विनिर्दिष्ट सेवा को प्रदान करने से प्राप्त हुई कोई आय अथवा इसके निवेश से उत्पन्न हुए ब्याज अथवा लाभांश के रुप में प्राप्त कोई आय शीर्ष के तहत कर प्रभार्य आय के संबंध में छूट हेतु पात्र नहीं होगा।

[अधिसूचना संख्या 4/2015/फा.सं. 196/36/2013-आ.का.नि-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2015

S.O. 199(E).—In exercise of the powers conferred by clause (23A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby approves the **"Indian National Group of the International Association for Bridge and Structural Engineering, IDA Building, Jamnagar House, Shahjahan Road, New Delhi-110011"** for the purpose of the said clause for the assessment years 2013-14 to 2015-16 subject to the following conditions, namely:—

(i) the assessee shall apply its income, or accumulate the income for application, in accordance with the provisions of the said clause (23A), solely to the objects for which it is established;

(ii) the assessee shall not be eligible for exemption under the said clause (23A) in respect of income chargeable under the head "income from House Property" or any income received for rendering any specified services or income by way of interest or dividends derived from its investment.

[Notification No. 4/2015/F.No.196/36/2013-ITA.I]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2015

का.आ. 200(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपवाक्य के प्रयोजन के लिए ''तमिलनाडु वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड'' जोकि तमिलनाडु वाटर सप्लाई एंड डेनेज बोर्ड एक्ट (1971 का तमिलनाडु एक्ट सं.4) अंतर्गत गठित एक बोर्ड है, को, उक्त बोर्ड को होने वाली विनिर्दिष्ट आय के बारे में अधिसूचित करती है, यथा:—

(क) तमिलनाडु सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर सेंटेज ;

(ख) बल्क वाटर सप्लाई के लिए स्थानीय निकार्यों से एकत्रित (तमिलनाडु सरकार द्वारा निर्धारित जल प्रशुल्क पर) जल प्रभार;

(ग) बैंकों में जमा और निवेश पर ब्याज, भाड़ा तथा स्थानीय निकार्यों से प्राप्त जमा राशियों पर ब्याज;

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी, कि:- ''तमिलनाडु वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड'' :—

(क) किसी भी वाणिज्यिक कार्यकलाप में संलग्न नहीं होगा;

(ख) इसके क्रियाकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरुप संपूर्ण वित्तीय वर्षों में यथावत रहेंगे;

(ग) यह उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपवाक्य (च) के उपबंध के अनुसार अपनी आयकर विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक लागू रहेगी।

[अधिसूचना संख्या 5/2015/फा.सं. 196/28/2013-आ.का.नि-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2015

S.O. 200(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the 'Tamil Nadu Water Supply and Drainage Board', a Board constituted under the Tamil Nadu Water Supply and Drainage Board Act, 1970 (Tamil Nadu Act No. 4 of 1971) in respect of the following specified income arising to that body, namely:—

(a) centage at rates prescribed by the Government of Tamil Nadu;

(b) water charges (at Water Tariff fixed by the Government of Tamil Nadu) collection from local bodies for bulk water supply;

(c) interest on bank deposits and investments, rent and deposits received from local bodies.

2. This notification shall be subject to the conditions that Tamil Nadu Water Supply and Drainage Board:-

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial year(s); and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the said Act.

3. This notification shall be applicable for the for the Financial years 2013-14 to 2017-18.

[Notification No. 5/2015/F. No. 196/28/2013-ITA.1]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2015

का.आ. 201(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपवाक्य के प्रयोजन के लिए "गुजरात स्टेट काउंसिल फार ब्लड ट्रांस्फ्युजन" जोकि गुजरात सरकार के द्वारा गठित एक न्यास हैं, को उक्त न्यास को होने वाली विनिर्दिष्ट आय के बारे में अधिसूचित करती है, यथा:—

(क) गुजरात सरकार और भारत सरकार से प्राप्त अनुदान;

(ख) दान; और

(ग) ब्याज से या इसके माध्यम से उद्भूत आय;

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी, कि:—

(क) यह न्यास किसी भी वाणिज्यिक कार्यकलाप में संलग्न नहीं होगा;

(ख) इस न्यास के क्रियाकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरुप संपूर्ण वित्तीय वर्षों में यथावत रहेंगे;

(ग) यह न्यास उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपवाक्य (च) के उपबंध के अनुसार अपनी आयकर विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक लागू रहेगी।

[अधिसूचना संख्या 6/2015 फा. सं. 196/21/2013-आ.का.नि-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2015

S.O. 201(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the 'Gujarat State Council for Blood Transfusion', a trust constituted by the Government of Gujarat, in respect of the following specified income arising to the said trust, namely :—

(a) grants from Government of Gujarat and the Government of India;

(b) donations; and

(c) income arising or by way of interest.

2. The Notification shall be effective subject to the conditions that Gujarat State Council for Blood Transfusion:—

(a) the trust does not engage in commercial activity;

(b) the activities of the trust and the nature of the specified income derived remain unchanged throughout the financial years; and

(c) the trust files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub section (4C) of section 139 of the said Act.

3. This notification shall be applicable for the financial years 2013-14 to 2017-18.

[Notification No. 6/2015/F. No.196/21/2013-ITA.1]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2015

का.आ. 202(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, कर्नाटक पशुधन विकास अभिकरण (कर्नाटक लाइवस्टॉक डिवेलपमेंट एजेंसी), कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एक निकाय, को उक्त निकाय को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात:—

(क) भारत सरकार से सहायता अनुदान के रुप में प्राप्त राशि;

(ख) सहायता अनुदान पर ब्याज;

2. अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी; नामश:-—

(क) यह कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करती है;

(ख) कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरुप पूर्ण वित्तीय वर्ष (वर्षों) में अपरिवर्तनीय रहता हैं; और

(ग) अपनी आय की विवरणी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करती है।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना संख्या 7/2015/फा. सं. 196/16/2014-आयकर नि-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2015

S.O. 202(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the 'Karnataka Livestock Development Agency', a body constituted by the Government of Karnataka, in respect of the following specified income arising to the said body, as follows:—

(a) amount received in the form of grants-in-aid from Government of India; and

(b) income arising out or derived from interest on grants-in aid.

2. The notification shall be subject to the conditions that:—

(a) the body does not engage in any commercial activity;

(b) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and

(c) it files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) section 139 of the said Act.

3. This notification shall be applicable for financial years 2012-13 to 2016-17.

[Notification No. 7/2015/F.No.196/16/2014-ITA.1]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2015

का.आ. 203(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपवाक्य के प्रयोजन के लिए ''राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद'' (नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स), जो कि संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाला एक स्वायतशासी निकाय है, को उस परिषद को उद्भूत होने वाली विनिर्दिष्ट आय के बारे में अधिसूचित करती है, यथा:—

(क) भारत सरकार से सहायता अनुदान और सब्सिडी के रुप में प्राप्त होने वाली राशि;

(ख) टिकटों की बिक्री से आने वाला शुल्क या अंशदान;

(ग) वैज्ञानिक और शिक्षा परक उद्देश्यों के लिए प्रेक्षागृह और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के प्रयोग के लिए वसूले जाने वाले रख-रखाव प्रभार; और

(घ) निवेश से प्राप्त ब्याज के रुप में अर्जित या व्युत्पन्न आय;

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी, कि:- ''नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स''

(क) किसी भी वाणिज्यिक कार्यकलाप में संलग्न नहीं होगा;

(ख) इसके क्रियाकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरुप संपूर्ण वित्तीय वर्षों में यथावत रहेंगे;

(ग) यह उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपवाक्य (च) के उपबंध के अनुसार अपनी आयकर विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक लागू रहेगी।

[अधिसूचना संख्या 8/2015/फा.सं. 196/1/2013-आ.का नि-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2015

S.O. 203(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, "National Council of Science Museums" an autonomous body under the Ministry of Culture, Government of India, in respect of the following specified income arising to the Council, namely:—

(a) amount received in the form of grants-in-aid and subsidies from Government of India;
(b) fees or subscription by sale of tickets;
(c) charges for maintenance recovered for use of auditorium and other public facilities for scientific and educational purposes; and
(d) income arising or derived by way of interest received from investment.

2. The notification shall be subject to the following conditions, that National Council of Science Museums-

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and

(c) it files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) section 139 of the said Act.

3. This notification shall be applicable for the financial years 2012-2013 to 2016-2017.

[Notification No. 8/2015/F.No. 196/1/2013-ITA.I]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.